



779
23/4/2024

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, राँची।

कार्यालय आदेश

SNA अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना Pre Matric Scholarship -Tribal का वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति के पश्चात् योजना का अवशेष राशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्न प्रकार Limit Allocated किया जाता है :-

क्र०	जिला / Implementing Agency का नाम	Allocated राशि
1.	साहेबगंज	1,01,74,047
2.	दुमका	2,77,76,308
3.	बोकारो	3,29,64,581
4.	घतरा	2,07,93,245
5.	देवघर	1,41,38,703
6.	धनबाद	1,57,74,084
7.	पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	6,00,38,950
8.	गढ़वा	1,79,27,356
9.	गिरिडीह	1,49,61,248
10.	गोडडा	1,51,24,732
11.	हजारीबाग	97,31,171
12.	खूँटी	2,49,44,019
13.	कोडरमा	45,47,550
14.	लातेहार	4,32,03,149
15.	लोहरदगा	2,40,72,617
16.	पलामू	1,52,38,662
17.	राँची	5,78,97,623
18.	पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा	10,37,29,379
19.	गुमला	5,25,76,086
20.	रामगढ़	2,81,87,168
21.	सिमडेगा	3,85,66,107
22.	पाकुड़	1,40,45,668
23.	जामताड़ा	1,39,37,257
24.	सरायकेला खरसावाँ	3,39,01,590
कुल :-		694251300

कुल- (उनहत्तर करोड़ बियालिस लाख एकावन हजार तीन सौ रूपये) मात्र।


2. भारत सरकार के पत्रांक-F.No.1(13)/PFMS/FCD/2020 दिनांक-23.03.2021 की कंडिका-3 के अनुरूप Drawing Limit राशि निर्धारित की जाती है एवं कंडिका-7 "The bank's software system should be able to monitor the drawing limits of the IAs who be able to draw funds on real time basis from the SNA's account as and when payments are to be made. The selected bank should ensure proper training and capacity building of branch managers and other staff for smooth operation of these accounts" का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

3. आवंटित राशि का भुगतान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-F.No.1(13)/PFMS /FCD/2020 दिनांक-23.03.2021 एवं पत्रांक-F.No.1(13)/PFMS/FCD/2022 दिनांक-07.07.2021 के अंतर्निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

46

4. योजना के क्रियान्वयन में वित्त नियमावली एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/परिपत्र तथा सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्पों/पत्रांक/मार्ग निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5. राशि का भुगतान संपादित कार्य के विरुद्ध ही किया जाए। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।


आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक-SNA/ 779

राँची, दिनांक- 23-04-2024

प्रतिलिपि-संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड/संबंधित परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०, झारखण्ड/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड राँची/लेखा शाखा, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक-SNA/ 779

राँची, दिनांक- 23-04-2024

प्रतिलिपि-सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


आदिवासी कल्याण आयुक्त।